

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1556/11-सी-FP/UP/ROAD/35985/2018, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 03, 2020

सेवा में,

अतिरिक्त वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0-एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर द्वारा ग्राम-कवाल में अपर गंगा कैनल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड, (एस0एच0-12ए) के कि0मी0 15 से 16 के किनारे 0:31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UP/ROAD/35985/2018)

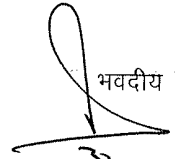
सन्दर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं0-8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0 432 दिनांक 29.11.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर ने अपने पत्रांक-2674/14-10 दिनांक 28.01.2020 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 03.02.2020 को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित एक प्रति में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

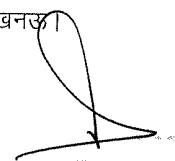
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


भवदीय
(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-1556/11-सी-FP/UP/ROAD/35985/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 3- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
- 4- परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम इकाई, सहारनपुर।


(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।